

4cm
262

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF NOTIFICATION NO. STV(TE)B(3)
4/84 DATED 28.1.84 AS REQUIRED UNDER CLAUSE(3) OF ARTICLE
348 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING

NO. STV(TE)B(3)4/84

DATED SHIMLA, the 28th 1988.

NOTIFICATION.

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the Post of Head Craft Mistress (Class-III, Non-Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational and Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure "I" attached to this Notification, namely:-

Short Title and Commencement:

1.(i) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Technical Education Vocational and Industrial Training Department (Recruitment and Promotion Rules 1987 for the post of Head Craft Mistress.

(ii) These shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Rules:

2. The number of posts, classifications, pay scale, qualifications and method of Recruitment etc. for the post of Head Craft Mistress (Class-III, Non-Gazetted) shall be as specified in the Annexure "A".

The Recruitment and Promotion Rules which were applicable for the post of Head Craft Mistress in the Deptt. of Technical Education, Vocational and Industrial Training prior to the commencement of these Rules are hereby repealed.

Repeal and Saving:

Continued on Page No. 2/-

88-2/84 7/84
6/84
VPS

ANNEXURE-I

Recruitment and Promotion Rules for the post of Head Craft Mistress in the Department of Technical Education in the H.P. Government:

1. Name of the post:

Head Craft Mistress.

2. Number of posts:

11(Eleven)

3. Classification:

Class-III(Non-Gazetted)

4. Scale of Pay:

Rs.570-15-600-20-700/25-850-30
1000/40-1080.

5. Whether selection or non-selection post:

Non-Selection.

6. Age for direct recruitment: Between 18 and 32 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general orders of the Himachal Pradesh Government;

or special

Provided further that the employees of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be govt. servants before absorption in the Public Sector Corporation/Autonomous bodies at the time of initial constitution of such Corporation/Autonomous bodies, shall be allowed age concession in direct Recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed to such Corporations/Autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous bodies after initial constitution of the public sector Corporations/Autonomous bodies.

Note:1. Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case maybe.

Note:2. Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case of the candidate is otherwise well qualified.

Contd. on P.No.2/-

(Page-2)

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment:

ESSENTIAL:

- i) Matric with Mathematics or its equivalent from a recognised University or Board.
- ii) Two Years Diploma in Tailoring Cutting and Embroidery and Needle work
OR
One year National Trade Certificate in Cutting & Tailoring and one year National Trade Certificate in Embroidery and Needle work.
- iii) Atleast five years experience in the trade concerned.

DESIRABLE QUALIFICATIONS:

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees;
- Age _____ No.
Technical No.
Educational Yes.
Qualification.
Experience Yes.
9. Period of probation, if any: Two years subject to such further extension for a period of not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
- 75% by promotion
25% by direct recruitment.
10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.
- By promotion from among Tailoring Mistresses with regular atleast 5 years service in the grade.
11. In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.

Contd. on Page No.3/-

*Word "regular" added vide ger signendum
No - SIV(FE) B(3) 4/89 dt-21/8/88 P-272*

*P-1/FM
P-212*

-:2:-

Provided that such repeal shall not effect the previous operation of the said Rules or anything done or any action taken thereunder.

By Order

(Attar Singh)
Financial Commissioner-Cum Secretary
(Technical Education) Vocational &
Industrial Training, to the Government
of Himachal Pradesh.

Endst. NO. STX(TE)B(3)4/85-II

Dated Shimla,

Copy forwarded to the :-

1. Secretary H.P. Public Service Commission, Shimla-2 for information with three spare copies with reference to his letter No. 6-3/71-PSC 11.9.87.
2. The Joint Secretary (Personnel) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. All Administrative Secretaries, H.P. Government for information.
4. All Heads of Department in H.P.
5. The Director Technical Education, Vocational and Industrial Training, H.P. Sundernagar, District Kandi for information and necessary action with ten spare copies.
6. The Deputy Controller, H.P. Press Shimla-5 for publication in Rajpatra. Extraordinary 70 copies of the notification be supplied to this Deptt.
7. The Deputy Legal Remembrancer H.P. Govt. Shimla-2.

Habib
Under Secretary(TE) to
the Government of Himachal Pradesh.

Note: In all cases of promotion, adhoc service rendered in the feeder post upto 31-12-1983, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition:-

(a) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including adhoc service rendered upto 31-12-1983) in the feeder post, in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

(b) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered in the post upto 31.12.1983 if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service.

Provided that the inter-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service shall remain unchanged.

(c) Adhoc service rendered after 31.12.1983 shall not be taken into account for confirmation promotion purposes.

Note:2. Provisions of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under Rule 2 are increased.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition:

As may be constituted by the Government from time to time. To be presided by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereto, to be nominated by him.

Contd. on Page No.4/-

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment:

As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruit:

- A candidate for appointment to any Service or post must be:-
- (a) A citizen of India, or
 - (b) Subject of Nepal, or
 - (c) Subject of Bhutan, or
 - (d) A Tibetan refugee who crossed over to India before the 1st January, 1982 with the intention of permanently settling in India;
 - (e) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an Examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment:

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, and if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or a practical test, the standard/syllabus etc of which, will be determined by the Commission /other recruiting authority as the case may be.

16. Reservation: The appointment to this service shall be subject to orders regarding reservation in the services for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes other categories of persons issued by the H.P. Government from time to time.

- : 5 : -

17. Power to Relax:

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.



हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं
औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।

संख्या सम०टी०वी०।टी०ई०।वी०।३।४/८४

तारीख

अधिसूचना

२८।५।८४

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पर्यामार्श से हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में वरिष्ठ तिलाई कटाई अध्यापिका की लात लंगन उपचान के अनुसार निम्नलिखित भारी एवं प्रोन्नति नियम दर्शाते हैं, अधारितः-

॥।। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ॥।। इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग वरिष्ठ तिलाई कटाई अध्यापिका वर्ग-॥।। अराजपत्रित पद के भारी एवं प्रोन्नति नियम 1987 है।

॥।। ये नियम इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, अहताएं और भारी की पदति :

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण में वरिष्ठ तिलाई कटाई अध्यापिका के पदों की संख्या वर्गीकरण, वेतनमान, अहताएं और भारी की पदति ऐसी होगी जैसी उपायन्धा "क" में विरिदिष्ट है।

3. निरसन और व्यावृति :

इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में संख्या तिलाई कटाई अध्यापिका के पदों के लिए लाग भाँती और प्रोन्नति नियमों का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

परन्तु ऐसे निरसन से, कठित नियमों के पूर्व प्रवर्तन या उनके तद्धानीन की गई किसी बात या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आदेश द्वारा

अत्तर सिंह

वित्तायकत एवं सचिव इत०शि०।व्यावसायिक एवं
औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश सरकार।

सं० सम०टी०वी०।टी०ई०।वी०।३।४/८४

तारीख शिमला-17।००।१९८४

२८।५।८४


एक एक प्रति निम्नलिखित को गूचनार्थ एवं कार्रवाई के लिए प्रयोगित है :

1. समस्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव दि०प्र० शिमला।
2. समस्त विभागीयका, हिमाचल प्रदेश।
3. नियन्त्रक मट्टा। एवं लेखान सामग्री, दि०प्र० शिमला। को निवेदन है कि वे राजपत्र अनाधारैण में प्रकाशित करें और इसकी 75 प्रतियां इस विभाग को भेजी जा सकें।
4. निदेशक तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण सभा को भेजी जा सकें।
5. उत्तर विधि परामर्शी हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-17।००।१९८४ मुन्द्रनगर जिला प्रणी ॥।० प्रतिया।।

अवर सचिव इत०शि०।व्यावसायिक एवं
औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश सरकार

D.A.	
Sunday	
ADT	
DDO	
DDT	
DTE	

86/8-2 88 5/5
W 3/8



तृकनीकी शिक्षा व्यवसायिक सर्व औचोगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश उपन्थी
में वरिष्ठ सिलाई अध्यापिका। अराजपत्रित। के पद के लिए भारी सर्व प्रोन्नति निष्पतः

१. पद का नाम।	मुख्य सिलाई अध्यापिका
२. पदों की संख्या।	॥ १ ग्राहक।
३. वर्गीकरण।	वर्ग-३ अराजपत्रित।
४. वेतनमान।	५७०-५-६००-२०-७००/२५-८५०-३०-१०००/४०-१०८० रूपये
५. चयन पद अथवा अचयन पद।	अचयन।
६. सीधी भारी की जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु।	१८ से ३२ वर्ष।

परन्तु भीड़ी की भारी के लिए आयु सीमा
तदर्था या संविदा पर नियुक्ति सहित, पहले ही सरकार की सेवा में रत अभ्याधिर्थों पर¹
लागू नहीं होगी।

परन्तु यह और कि यदि तदर्था आधार पर नियुक्ति
किया गया अभ्याधीन है इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिकवय हो गया हो तो वह
तदर्था या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिक्षालीकरण के
लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह और कि अनुमूलिक जातियों अनुमूलिक
जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों अच्यतम आयु सीमा में उतना ही शिक्षालीकरण
लिया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यारण या विशेष आदेशों के
अधीन अनुज्ञेय है।

परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा
स्वायत्त निकायों के सभी न्यूचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों
में आमेलन से पूर्ण सरकारी न्यूचारी थे, सीधी भारी में आयु की सीमा में ऐसी ही
रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी न्यूचारियों को अनुज्ञेय है।

किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर
निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे न्यूचारी वृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती
ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों
की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी=।

सीधी भारी के लिए आयु सीमा की गणना उस
वर्षां के पृथग दिन से की जाएगी जिसमें आवेदन
आमत्रित करने के लिए यथा स्थान पद, विज्ञापित
या नियोजनालयों/रोजगार कार्यालय को अधिसूचित
किए जाते हैं।

टिप्पणी=२

अन्तार्याम अनुहित अभ्याधिर्थों की दशा में सीधी भारी के लिए आयु सीमा और अनुभाव आयोग के
दिवेकानुसार शिक्षालीकरण किया जाएगा।

(3)

.....2.....

7. सीधारी भाती की जाने वाले व्यक्तियों
के लिए शौद्धिकता न्यूनतमा शौद्धिक और
अन्य अर्द्धताएँ ।

अनिवार्य

1. मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय/टोर्डे में
मैट्रिक्युलेशन या इसके समतुल्य ।
2. मिलाई कठाई और लढाई तथा बनाई
में दो वर्षों का डिप्लोमा । मिलाई
कठाई का राष्ट्रीय व्यवसाय में एक वर्ष
का प्रमाण पत्र तथा एक वर्ष का
लढाई तथा बनाई में राष्ट्रीय व्यवसाय
प्रमाण-पत्र ।
3. व्यवसाय में कम से कम 5 वर्षों का
अनुभाव ।

वांछनीय अर्द्धताएँ

1. हिमाचल प्रदेश की रुद्रियों रीतियों
और वोलियों का ज्ञान और प्रदेश में
विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति
के लिए उपयुक्त ।

आयु - नहीं ।

शौद्धिक अर्द्धताएँ - हाँ ।

अनुभाव - हाँ ।

दो वर्षों, जिनका एक वर्ष में अनधिक
ऐसी और अनधिक के लिए विस्तार किया
जा सकेगा जैसा सहम पाठ्यकारी विशेष
प्रतिष्ठानियों में और लिखित कारणों
में आदेश दें ।

9. परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो तो ।

10. भाती की पदति:

भाती सीधारी होगी या प्रोन्ति
या प्रतिनियुक्त या स्थानान्तरण
द्वारा और विभिन्न पदतियों द्वारा
भारी जाने वाली प्राक्तियों की प्रतिक्रिया ।

75 प्रतिशत प्रोन्ति द्वारा ।

25 प्रतिशत सीधारी भाती द्वारा ।

11. प्रोन्ति प्रतिनियुक्त या स्थानान्तरण की दशा
में ब्रेणियाँ जिसमें प्रोन्ति प्रतिनियुक्त या स्थानान्तरण
किया जाएगा ।

कनिष्ठ गिलाई अध्यापिका
में से प्रोन्ति द्वारा
जिनका ग्रेड में कम से
कम 3 वर्षों का भेवाकाल
दो ।

टिप्पणी-

प्रोन्ति के सभी प्रामलों में पढ़ पर नियमित नियमित से
पहली स्थानान्तरण पढ़ में 31-12-1983 तक की गई तदर्दें सेवा
प्रेति गोई है प्रोन्ति के लिए इन नियमों में यथाविहित
भेवाकाल के लिए निम्नलिखित शातों के अधीन रहते
हुए हिसाब में ली जाएगी ।

.....लगातार...3.....

॥१॥

उन सभी मामलों में जहाँ कई कनिष्ठ व्यक्ति सभारण पद में अपने कल सेवाकाल ।३।। १२.८३। तक की गई कल तदर्थ सेवाका शामिल करके। के आधार पर उमरयर्ति निर्दिष्ट उपतन्धाँ के कारण विचार के लिए पात्र हो जाता / है वह उने वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार के लिए पात्र समझे जायेंगे और विचार करते हुए कनिष्ठ व्यक्ति के रूप रखो जाएंगे ।

परन्तु प्रोन्नति के विचार किए जाने वाले सभी पदाधारियों की कम से कम तीन लाख अर्हतासं में या पद के भारी एवं पान्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम ही होनी चाहिए ।

परन्तु यह और कि जहाँ कोई व्यक्ति पर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाताओं के कारण प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र हो जाता है वहाँ उसे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा ।

॥२॥

इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित से पर्व ३।। १२.८३ तक की गई तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवीकरुल के लिए हिसाब में ली जाएगी ।

परन्तु स्थायीकरण के परिणामस्वरूप तदर्थ सेवा की हिसाब में लेकर पारस्परिक ज्येष्ठता, अपरितर्ति रहेगी ।

॥३॥

३।। १२.८३ के पश्चात नी गई तदर्थ सेवा प्रोन्नति स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी ।

जहाँ सभी नियम-२ के अनुसार पदों में बढ़ौतरी होती है तो नियम १० और ११ के उपतन्धा, नरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षित किए जाएंगे ।

१२. भारी करने में जिन परिस्थितियों में हिस्पो लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है ।

१३. सीधी भारी की जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।

किसी सेवा या पद पर नियमित के लिए अभ्याधाँ निम्नलिखित हाँच चाहिए :

॥१॥

भारत का नागरिक या

॥२॥

नेपाल का दूर पूजा

॥३॥

भूटाण की पूजा

॥४॥

तिळती प्रारणाधारी जो । जलवली

१९६२ से पर्व भारत में स्थायी निवास के आवाय से प्रवास के लिए आया हो ।

॥५॥

भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसे

पारिस्थितिक समाँ श्रीलंका, पवीं अफ्रीक के देशों या की विद्या या यात्रा के दृष्टिकोण से भारत में आवास जेपर और जैसी विधि से भारत में स्थायी निवास के अधार से प्रवास किया हो ।

परन्तु प्रबर्ग ॥१॥ ॥२॥ ॥३॥ के अभ्याधाँ ऐसे व्यक्ति हों जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाता ।

ऐसे अभ्याधाँ को जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, हिन्दू लोक सेवा आयोग या अन्य भारी प्राधिकरण द्वारा

४

संचालित परीक्षा । साक्षात्कार में प्रवेश किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव
भारत सरकार द्वारा पात्रता का अधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर इच्छात्
दिया जाएगा ।

14. सीधी भारी द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए
चयन ।

सीधी भारी के बाले में पद पर
नियुक्ति के लिए चयन सीधीक परीक्षा
के आधार पर और यदि यथा स्थिति
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या
अन्य भारी प्राधिकरण ऐसा करना
आवश्यक या समीचीन समझे लिखित
परीक्षा के आधार पर किया
जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथा-
स्थिति, आयोग/अन्य भारी प्राधि-
करण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15. आरक्षण : ।

उक्त सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश
सरकार द्वारा समय-2 पर अनुमति
जातियों/अनुमति जनजातियों/पिछड़े
वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के
लिए सेवाओं में आरक्षण की वावत
जारी किए गए आदेशों के अधीन
होगी ।

16. शिक्षित करने की शक्ति:

जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि
ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैतो
यह कारणों से अभिलिखित करके
और लोक सेवा आयोग के परामर्शों
से आदेश द्वारा हिमाचल प्रदेश इन
नियमों के किन्हीं उपतन्दारों की किसी
वर्ग या व्यक्तियों के प्रत्येक या पदों की
वावत शिक्षित कर सकेगी ।